

प्रेस विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

25 हजार का इनामिया डी-71 गैंग का शातिर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह

द्वारा अपराध नियंत्रण एव

वांछित/इनामियाँ अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्र/अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 09.11.2020 को थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उनि0 श्री जावेद अख्तर , का0 वृजेश यादव ,का0 राजू गौड द्वारा हत्या ,लूट, डकैती,जिला बदर, वांछित, वारण्टों की गिरफ्तारी के क्रम में मार्टिनगंज बाजार मे मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि पुष्पनगर नहर के पास हुये मुठभेड़ से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र भुलई निवासी भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ , सोंगर गाव की तरफ से सोंगर पुलिया होते हुए भादो की तरफ आ रहा है। जिसके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा पहले से क्षेत्र में मौजूद उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय को सूचना से अवगत कराते हुए मार्टिनगंज बाजार पहुंचने को कहा गया। कुछ ही देर में उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह के मार्टिनगंज बाजार में आकर मिले। तत्पश्चात मौजूद पुलिस बल को साथ लेकर सोंगर पुलिया पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगे कुछ ही देर में एक व्यक्ति पैदल सोंगर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा नजदीक पहुंचवे पर व्यक्ति को रुकने का इशारा करने पर वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भागते हुए अपने पास लिये असलहा से जान मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव करते हुए दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र भुलई ग्राम भादो थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर, एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा 472 रूपये बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0 -185 /20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ 2. मु0अ0सं0-186/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 07.11.2020 को पुष्प नगर नहर पुलिया से जो भोर मऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर मैं तथा मेरा साथी मुकेश दारा जान मारने की नियत से पुलिस वालों के ऊपर फायर किये थे। मैं फायर करने के बाद अंधेरा होने के कारण मौके से फरार हो गया था। आज छुपते छुपाते हुए अपने घर जा रहा था कि आप लोगों ने घेर लिया। गिरफ्तारी से बचने के मैं पुलिस पर फायर कर दिया। कड़ाई से पूछने पर बताया कि करीब 5 माह पूर्व कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक्सिस बैंक से अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर हम लोगों ने पैसा निकाला था। जिसके संबंध में थाना कप्तानगंज पूछा गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त प्रवीण उर्फ मोनू उपरोक्त थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0- 89/20 धारा 419,420,406 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट में वांछित व 25000 रूपये का इनामी अभियुक्त है। दिनांक 09.09.2020 को मैं अपने साथी मुकेश के साथ परशुराम बाजार थाना महाराजगंज आजमगढ़ में लगे इंडिया वन एटीएम से एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर फूलपुर बाजार से ₹40000 निकाले थे। जिसको आपस में बराबर बराबर बांट लिए थे उसी में से यह ₹470 बचा है बाकी रुपया खर्च हो गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र भुलई ग्राम भादो थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 185 /20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 186/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 235/20 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 89/20 धारा 419,420,406 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना कप्तान गंज
3. मु0अ0सं0 183 /20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 185 /20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 186/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 319/16 धारा 419/420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 336/19 धारा 41,419,420,411 भादवि व 66 सी आईटी एक्ट कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी

1. एक अदद देशी तमंचा , एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
2. 470 रु नकद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
3. उ0नि0 अखिलेश चन्द पाण्डेय मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीण नवीन गैंग का सदस्य है जिसका कोड डी -71 है साथ ही साथ अभियुक्त 25000 रूपये का ईनामिया भी है ।